केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :48 अंक 64 गुरूवार 24 सितम्बर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

पैथालोजी से चोरी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नगर पंचायत कप्तानगंज में अज्ञात चोरों ने एक पैथालोजी सेंटर को अपना निशाना बनाया। सी एच सी के ठीक सामने नेशनल हाईवे पर सत्य पैथालोजी संचालित था, बुद्धवार को जाँच के लिए गए रोगियों को निराशा मिली जिसका कारण रहा कि चोरों ने पूरी पैथालाजी ही चोरी कर ली।

संचालक सुधाकर पाठक ने बताया कि सीबीसी मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन, बायोकेमिस्ट्री मशीन के अलावा दो लैपटाप शामिल है जिसकी लागत करीब 25 लाख के आस पास थी। हालाँकि इस मामले में कप्तानगंज थाने की पुलिस जाँच कर रही है। चोरों को जरा सा इस बात का दहशत नहीं था की पैथोलॉजी से महज 50 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी है।

कांग्रेस नेता अजय पाण्डेय को मातृ शोक

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय पाण्डेय की माता श्रीमती कृष्णा कुमारी पाण्डेय का बुधवार सुबह निधन हो गया।

श्रीमती कृष्णा कुमारी पाण्डेय 92 वर्ष की थीं। वह वर्तमान में किसान सर्वोदय इंटर कॉलेज रायठ की अध्यक्ष थीं। उनके निधन से परिवार, शुभचिंतकों और परिचितों में गहरा दुख व्याप्त है।

शोक संवेदना व्यक्त करने उनके आवास पर पहुंचने वालों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी, प्रशांत पाण्डेय, ज्ञानेंद्र पाण्डेय,नवदेश्वर शुक्ला, यूवा सपा नेता बबलू तिवारी, बृजेश मिश्रा तथा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।

कल्याणकारी योजना का सीधा प्रसारण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, भारत टैक्सी एवं अन्य कल्याणकारी योजना के शुभारम्भ किये जाने का लाइव प्रसारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका सजीव प्रसारण अटल बिहारी प्रेक्षागृह में उपस्थित लोगों ने देखा। उक्त कार्यक्रम मे जिलाधिकारी की उपस्थिति में मुख्य अतिथि के रूप मे महेश शुक्ल, उपाध्यक्ष, गौ सेवा आयोग, उ०प्र० सरकार, विशिष्ट अतिथि दयाराम चौधरी, पूर्व विधायक, बस्ती सदर, पं० सरोज मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि हरैया, हरीश सिंह, प्रतिनिध, विधान परिषद सदस्य, यशकांत सिंह, ब्लाक प्रमुख, वि०स०रामनगर, पवन कसौधन, पूर्व जिला अध्यक्ष, बी० जे०पी०/अध्यक्ष डीसीडीएफ, श्रीमती रोली सिंह, अध्यक्ष, महिला मोर्चा एंव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजेन्द्र नाथ तिवारी, अध्यक्ष बस्ती जिला सहकारी बैंक लि०, बस्ती, सहकारी ग्राम विकास बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक रामबचन राम, जनपद के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता रवि शंकर एवं बस्ती जिला सहकारी बैंक लि०, बस्ती के सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी राहुल रोज सिंह तथा अन्य विभागीय अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, के माध्यम से 6.00 प्रतिशत की ब्याज दर पर रू० 6.00 लाख तक का दीर्घ कालिक ऋण योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानो को ऋण प्रदान करते हुए योजना शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री ने देश के पहले कोआपरेटिव आधारित 'भारत टैक्सी सर्विस का शुभारम्भ करते हुए प्रदेश वासियों को भारत टैक्सी के माध्यम से सुविधा दिये जाने एवं भारत टैक्सी के चालको को रू० 5.00 लाख तक बीमा सुरक्षा भी प्रदान किये जाने की जानकारी साझा की गयी।

2 चुनाव आयुक्तों ने 14 बार आपत्ति जताई आयोग ने कहा–यह सामान्य प्रक्रिया

नई दिल्ली (आभा)। चुनाव आयोग ने बुधवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर चुनाव आयुक्तों में मतभेद से जुड़ी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि पिछले एक साल में लिए गए सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। आयोग ने कहा कि किसी भी संस्थान में विचार–विमर्श के दौरान अलग–अलग राय और टिप्पणियां आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

इस मामले में राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर वोट चोरी को संविधान के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि समय आने पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।

चुनाव आयुक्तों में मतभेद का विवाद द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ। यह रिपोर्ट 23 सितंबर को पब्लिश की गई। इसके मुताबिक, चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कहा कि कई फैसले उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना लिए गए। आयोग के फैसलों पर 28 अक्टूबर 2025 से 14 अगस्त 2026 के बीच 14 बार लिखित आपत्ति जताई गई। इनमें 16 अप्रैल को चार आपत्तियां दर्ज की गईं। इन आपत्तियों की प्रतियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गईं। कुछ आपत्तियां उन उप चुनाव आयुक्तों को भी भेजी गईं, जो संबंधित काम की निगरानी कर रहे थे।

यह विवाद बिहार से जून 2025 में शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बीच सामने आया है।

एचएमए इंटर कॉलेज में छात्र पदाधिकारियों ने लिया कर्तव्यनिष्ठा की शपथ

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। एचएमए इंटर कॉलेज हरैया में बुधवार को आयोजित इन्वेस्टिचर सेरेमनी में नवनियुक्त छात्र पदाधिकारियों ने विद्यालय की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने के साथ अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की शपथ ली। हेड बॉय हार्दिक पांडेय और हेड गर्ल पूर्णिमा दुबे समेत छात्र पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के दौरान विद्यालय परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समारोह में विद्यार्थियों को नेतृत्व, जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा का महत्व समझाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मो. शहजाद सिद्दीकी ने की। मुख्य अतिथि रेशमा बानो रहीं। विद्यालय के निदेशक एमडी ओझा और प्रधानाचार्य केएन वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि दिवाकर रंजन और राम सागर प्रजापति की उपस्थिति रही।

समारोह का मुख्य आकर्षण छात्र पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण रहा। विद्यार्थियों ने विद्यालय की प्रतिष्ठा और अनुशासन को बनाए रखने तथा सौंपे गए दायित्वों का ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का संकल्प लिया।वक्ताओं ने कहा कि नेतृत्व केवल पद या अधिकार प्राप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन और सेवा–भाव के साथ आगे बढ़ने की भावना है। विद्यार्थियों को मिली यह जिम्मेदारी उनके व्यक्तित्व विकास के साथ नेतृत्व क्षमता को निखारने का अवसर भी है। निदेशक एमडी ओझा ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, अनुशासित, आत्मविश्वासी और संवेदनशील नागरिक बनाना भी है। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपने आचरण और कार्यों से अन्य विद्यार्थियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने का आह्वान किया।

प्रधानाचार्य केएन वर्मा ने कहा कि छात्र पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी उनके भीतर नेतृत्व के गुण विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने विद्यालय के अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। समारोह में विद्यार्थियों में उत्साह और उमंग का माहौल रहा। अतिथियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

नगर पंचायत नगर में 3 करोड की लागत से बनेगा मैरेज हाल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नगर पंचायत नगर में 3 करोड रूपए की लागत से अत्याधुनिक मैरिज हॉल का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। यह जानकारी देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम सिंह राना ने बताया कि लुम्बिनी दुद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट गुरु प्रसाद नगर वार्ड में मैरेज हाल निर्माण के लिए सी० एम० वी० एन० वाई० योजना के तहत नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था जिसकी स्वीकृति मिल गई है। शासन द्वारा सी० एंड डी० एस० विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

श्रीमती राना ने नगर विकास मंत्री ए०के० शर्मा का आभार जताते हुए कहा है कि इसके निर्माण से जहां नगर वासियों को कम कीमत पर मांगलिक कार्यक्रमों के लिए आधुनिक भवन और परिसर मिल सकेगा वहीं नगर पंचायत की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि आम जन की सुविधा के लिए फुलवरिया पाण्डेय में नगर पंचायत के पुराने कार्यालय को विवाह घर में बदला जाएगा तथा राजघाट और बारीजोत में भी विवाह घर बनाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। श्रीमती राना ने कहा है कि नगर को महानगर जैसा बनाने का प्रयास जारी है। उन्होंने नगर को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराया है। अत्याधुनिक मैरिज हॉल निर्माण की स्वीकृति मिलने पर नगर वासियों में हर्ष व्याप्त है।

स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने डीएम, अपर निदेशक सीएमओ को भेजा मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर मण्डल अध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्बोधित ज्ञापन, जिलाधिकारी, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बस्ती मण्डल, मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजकर समस्याओं के समाधान की मांग किया। संघ ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य–समान वेतन और सेवा सुरक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर शासन से सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है।

संघ के मंडल अध्यक्ष डा वीके वर्मा ने ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में एक लाख से अधिक संविदा कर्मचारी पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में लगातार योगदान दे रहे हैं। जिला अस्पतालों, महिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कहा कि यदि मांगों पर शासन स्तर से जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मांगों के समर्थन में 5, 6 और 7 अक्टूबर को काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध किया जाएगा। इसके बाद 8, 9 और 10 अक्टूबर को जनपद मुख्यालयों पर

–संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग
–मांगे न मानी गई तो 6 अक्टूबर से सांकेतिक विरोध–डा. वी.के. वर्मा

बैठक कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। मांगों का समाधान नहीं होने पर आगे आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।

संघ के प्रदेश महामंत्री आदित्य भारती ने कहा कि कहा कि कोरोना महामारी के कठिन दौर में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दीं। टीकाकरण अभियान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, संचारी रोग नियंत्रण, गैर संचारी रोग नियंत्रण सहित कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में संविदा कर्मचारियों का योगदान अहम रहा है। ऐसे में उनकी मांगों पर सरकार तत्काल विचार करे।

संघ जिलाध्यक्ष डा. अजय कुमार ने मांग किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लंबे समय से सेवाएं दे रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। संघ का कहना है कि जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक कर्मचारियों को समान कार्य के आधार पर सम्मानजनक वेतन दिया जाए। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के आधार पर वेतन संरचना, महंगाई भत्ता, कर्मचारी भविष्य निधि, आवास भत्ता, चिकित्सा सुविधा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।

संघ ने संविदा कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बहाल करने, रिक्त पदों पर गैर जनपद स्थानांतरण की सुविधा देने, सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर परिवार के पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की नीति बनाने की मांग उठाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति में शामिल करने और स्वास्थ्य विभाग में होने वाली नियमित भर्तियों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटों का कोटा निर्धारित करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।

ज्ञापन सौंपने के दौरान ओपेक चिकित्सालय कैली से पूजा देवी, स्वेता यादव और सुशील चौधरी, महिला अस्पताल से अंजित प्रजापति, अनीता देवी और माया, जिला अस्पताल बस्ती से डॉ. सतीश चौधरी, अवधेश मिश्रा, डॉ. राकेश कुमार, डॉ. अजय कुमार, डॉ. आदित्य कुमार, विवेक यादव, डॉ. इंद्रेश कुमार चौधरी, डॉ. मेयाज अहमद, डॉ. राकेश कुमार शुक्ल, डॉ. जामिल अहमद खान और संतोष कुमार मौजूद रहे। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बस्ती से विनय सिंह, शोभित, राजनारायण चौधरी और राज कुमार प्रजापति सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

पत्नी, बेटे और दो पुजारियों का हत्यारा एनकाउंटर में ढेर

आजमगढ़ (आभा)। अहरौला थाना क्षेत्र के शंभुपुर गहजी गांव में मंगलवार की शाम पूजा–पाठ के दौरान विवाद में पति ने अपनी पत्नी और पूजा करा रहे दो पुरोहितों की गोली मारकर हत्या कर दी। तीन लोगों की हत्या के बाद आरोपित अपने आठ वर्षीय पुत्र शौर्य, नौ वर्षीय पुत्री परी और छह माह की बच्ची को लेकर मकान के एक कमरे में बंद हो गया। सूचना पर डीआइजी सुनील कुमार सिंह, एसएसपी डॉ. अनिल कुमार समेत छह थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मकान को चारों तरफ से घेर लिया। देर शाम तक पुलिस आरोपित से दरवाजा खुलवाने का प्रयास करती रही। बच्चों के कमरे में होने के कारण पुलिस बेहद सतर्कता से कार्रवाई कर रही थी। रात दस बजे तक आरोपित घर के बाहर नहीं निकला। देर रात करीब 12.55 बजे एटीएस के साथ हुई मुठभेड़ में हत्यारोपित को कई गोली लगी है, पुलिस उसे इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची और इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई

स्थानीय लोगों के बताया कि, शंभुपुर गहजी निवासी अरविंद सिंह की मां शमला देवी और पत्नी बबीता घर में शांति के लिए पूजा कराना चाह रही थीं। अरविंद इसका विरोध कर रहा था। इसे लेकर कई दिनों से घर में विवाद चल रहा था। इसी बीच अरविंद किसी काम से बाहर चला गया। मौका देखकर पत्नी ने घर में पांच दिवसीय पूजा शुरु करा दी। मंगलवार को पूजा का चौथा दिन था, इसी दौरान शाम करीब छह बजे अरविंद वापस घर लौट आया। पूजा–पाठ होते देखकर वह भड़क गया और पूजा करा रहे 60 वर्षीय महेंद्र पाठक, 50 वर्षीय अखिलेश मिश्रा और उनके 20 वर्षीय पुत्र हिमांशु मिश्रा को गालियां देने लगा। पत्नी बबीता और मां शमला देवी ने उसे समझाने का प्रयास किया। अरविंद ने पुरोहितों को ढोंगी बताते हुए आधार कार्ड मांगने लगा, पुरोहित इसका विरोध करते हुए अरविंद को भला बुरा कहने लगे।

आरोप है कि इसके बाद अरविंद पत्नी से मारपीट करने लगा। इस दौरान पूजा करा रहे पुरोहितों ने मोबाइल से इसका वीडियो बनाना शुरु कर दिया। मोबाइल से वीडियो बनाते देखकर अरविंद घर में रखी लाइसेंसी रिवाल्वर निकाल लाया। उसने पहले पत्नी बबीता को गोली मारी। इसके बाद महेंद्र पाठक और अखिलेश मिश्रा को भी गोली मार दी। अरविंद किसी और पर गोली चलाता, इससे पहले हिमांशु शोर मचाते हुए घर से बाहर भाग निकला।

पूजा में बैठी उसकी 22 वर्षीय भतीजी वर्षा सिंह, 17 वर्षीय रिया और मां शमला देवी भी मौका पाकर बाहर निकल गईं। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। इसके बाद अरविंद अपने बच्चों को लेकर एक कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान की घेराबंदी कर दी। देर शाम तक आरोपित बच्चों के साथ कमरे के अंदर था और पुलिस उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। बच्चों के कमरे में होने के कारण पुलिस अधिकारी बेहद सावधानी से कार्रवाई कर रहे थे।

बृजभूषण शरण सिंह के साथ खत्म हुआ बाबा रामदेव का विवाद

नई दिल्ली (आभा)। योग गुरु रामदेव और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच जारी जुबानी जंग अब खत्म होती नजर आ रही है। दोनों ही दिग्गजों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद यह साफ हो चुका है। रामदेव ने खुद भी इसका ऐलान कर दिया है। दोनों के बीच विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता निभाने वालों को उन्होंने धन्यवाद कहा।

रिश्वत मांगने के आरोप में लेखपाल और ग्राम प्रधान पर मुकदमा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिले के धमौरा गांव में सही रिपोर्ट लगाने के नाम पर 10 हजार रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में हल्का लेखपाल समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि रिश्वत देने से इनकार करने पर उसके साथ गाली–गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 22 सितंबर 2026 की रात 8रू52 बजे मुकदमा दर्ज किया है। मामले में हल्का लेखपाल रामजी और ग्राम प्रधान रीमा चौधरी को आरोपी बनाया गया है।

पुलिस के अनुसार, धमौरा निवासी नितराम ने शिकायत में बताया कि गांव की गाटा संख्या 203 क और ख सरकारी रिकॉर्ड में घोला और तालाब के रूप में दर्ज है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने घोले की जमीन को पाटकर उस पर कब्जा कर लिया है। इससे तालाब और पानी की निकासी प्रभावित हो रही है। नितराम का कहना है कि उसने मामले की शिकायत तहसील दिवस, जिलाधिकारी कार्यालय और जनसुनवाई पोर्टल पर कई बार की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

नितराम के मुताबिक, हल्का लेखपाल रामजी ने ग्राम प्रधान रीमा चौधरी के साथ मिलकर उसके आवेदनों पर गलत रिपोर्ट लगाई। आरोप है कि 1 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब एक बजे लेखपाल ने सही रिपोर्ट लगाने के लिए उससे 10 हजार रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब उसने रुपए देने से इनकार किया तो लेखपाल ने उसके साथ गाली–गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

शिकायतकर्ता की ओर से कोर्ट में मामला रखा गया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 22 सितंबर 2026 की रात 8रू52 बजे मुकदमा दर्ज किया। इसमें धमौरा के हल्का लेखपाल रामजी और ग्राम प्रधान रीमा चौधरी को आरोपी बनाया गया है।

पुलिस का कहना है कि मामले में शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी को बिहार-कर्नाटक का प्रभार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को पार्टी ने बिहार और कर्नाटक राज्य का प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा की ओर से जारी नई संगठनात्मक जिम्मेदारियों की सूची में उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। इसके पूर्व हरीश द्विवेदी असम भाजपा के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मिलने के बाद हरीश द्विवेदी के प्रथम बस्ती आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने उनका जगह–जगह भव्य स्वागत किया था। अब बिहार और कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्यों का प्रभारी बनाए जाने की सूचना मिलते ही बस्ती के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया।

भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने कहा कि हरीश द्विवेदी का संगठन के प्रति समर्पण, दीर्घ राजनीतिक अनुभव, कुशल नेतृत्व क्षमता तथा कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय उन्हें एक प्रभावी

संगठनकर्ता बनाता है। बिहार और कर्नाटक की जिम्मेदारी मिलना उनके संगठनात्मक कौशल एवं पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने पाठक, लवकुश शुक्ला, गंगेश सिंह, विशुद्धानंद तिवारी, राजेश कमलापुरी, गौरव मणि तिवारी, गिरजेश यादव, जमुना पाण्डेय, सुजीत सोनी, सुधाकर पाण्डेय 'नीरज', विनय सिंह भारद्वाज, राधेश्याम कमलापुरी, वेद प्रकाश त्रिपाठी, तारक जायसवाल, मनोज कुमार पाठक, लवकुश शुक्ला, गंगेश सिंह, विशुद्धानंद तिवारी, राजेश कमलापुरी, गौरव मणि तिवारी, गिरजेश यादव, जमुना पाण्डेय, सुजीत सोनी, सुधाकर विक्रम सिंह, सुरेश भट्ट, कमेन्द्र चौहान, शिव प्रसाद चौधरी, विजय भान सिंह, अंकित पाण्डेय 'पवन', संजय कुमार चौरसिया, दुर्गेश अग्रहरी, शिवचरण जायसवाल, विनय यादव, जनक राम, राज कुमार शुक्ल, सतेन्द्र सिंह भोलू, राजू पाण्डेय सहित जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे।

हरीश द्विवेदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की। वर्ष 1991 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। वर्ष 2006 से 2010 तक भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा 2010 से 2013 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। वर्ष 2012 में उन्होंने बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इसके बाद वर्ष 2014 एवं 2019 में बस्ती लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी संगठन को अपनी सेवाएं दीं और अब राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे हैं।

प्रसन्नता व्यक्त करने वालों में जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र, अमृत कुमार वर्मा,अजयपाल सिंह, अखंड प्रताप सिंह, वीरेन्द्र गौतम, दिलीप पाण्डेय, शिवानी सिंह, शालिनी मिश्र, राकेश शर्मा, नीलम गौड़, सुरेन्द्र कुमार चौधरी, सुधाकर पाण्डेय 'नीरज', विनय सिंह भारद्वाज, राधेश्याम कमलापुरी, वेद प्रकाश त्रिपाठी, तारक जायसवाल, मनोज कुमार पाठक, लवकुश शुक्ला, गंगेश सिंह, विशुद्धानंद तिवारी, राजेश कमलापुरी, गौरव मणि तिवारी, गिरजेश यादव, जमुना पाण्डेय, सुजीत सोनी, सुधाकर विक्रम सिंह, सुरेश भट्ट, कमेन्द्र चौहान, शिव प्रसाद चौधरी, विजय भान सिंह, अंकित पाण्डेय 'पवन', संजय कुमार चौरसिया, दुर्गेश अग्रहरी, शिवचरण जायसवाल, विनय यादव, जनक राम, राज कुमार शुक्ल, सतेन्द्र सिंह भोलू, राजू पाण्डेय सहित जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेन्डेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 24 सितम्बर 2026 गुरूवार

सम्पादकीय

शैक्षिक जवाबदेही के प्रश्न

आये दिन देश के विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और आर्थिक संसाधन जुटाने में पारदर्शिता के अभाव की खबरें सुर्खियां बनती रहती हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने अपनी सुविधा के हिसाब से कायदे–कानून बनाने और शैक्षिक जवाबदेही से बचने के रास्ते भी निकाल लिए हैं। इसी आलोक में देश भर के निजी विश्वविद्यालयों के लिए सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों का स्वागत ही किया जाना चाहिए। दरअसल, कई तरह के आक्षेपों के बाद शीर्ष अदालत ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के संचालकों से पूछा है कि वे बताएं कि उनके विश्वविद्यालयों में वित्तीय संसाधन कैसे जुटाये जाते हैं? संसाधनों का प्रबंधन किस तरह से किया जाता है? इसके अलावा ये विश्वविद्यालय इस धन का प्रयोग किस तरह से करते हैं? सही मायने में अदालत का यह निर्देश विश्वविद्यालयों के आय और व्यय के सामान्य ऑडिट से कहीं आगे की बात करता है। दूसरे शब्दों में अदालत के निर्देशों में यह जानने का प्रयास किया गया है कि प्रवेश के समय छात्रों को सुविधाओं के जो सब्जबाग दिखाए जाते हैं उसके मुकाबले हकीकत में कितनी सुविधाएं मिलती हैं। कह सकते हैं कि यह एक आवश्यक रियलिटी चेक है। वास्तव में कोर्ट की जिज्ञासा के पीछे ठोस कारण भी हैं। दरअसल, समाज में यह धारणा बलवती होती जा रही है कि शिक्षा का क्षेत्र धीरे–धीरे एक बिजनेस मॉडल का रूप लेने लगा है। आक्षेप तो यहां तक है कि शिक्षा का ये कारोबार रियल एस्टेट मॉडल में बदल गया है। जहां सिर्फ इस बात से ही फर्क पड़ता है कि कितने छात्र दाखिला ले रहे हैं और विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाने से इन संस्थानों को कितना मुनाफा हो रहा है। निस्संदेह, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तार्किक ही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को शिक्षा के व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। वे सिर्फ मुनाफे के लिये ही काम नहीं कर सकते। कोर्ट का कहने का अभिप्राय है कि छात्रों के किसी भी तरह के शोषण को रोकने के लिये मजबूत नियामक संस्था की निगरानी जरूरी है।

निस्संदेह, इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश में उच्च शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ी है। वहीं सरकारी विश्वविद्यालय इस मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। वजह साफ है कि वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते सरकारी संस्थान ज्यादा संख्या में छात्रों को मौका देने में विफल नजर आते हैं। जिसके चलते देश में निजी विश्वविद्यालयों को पांव पसारने का मौका मिल रहा है। वहीं एक हकीकत यह भी है कि कड़ी स्पर्धा वाले निजी क्षेत्र ने बीते कुछ वर्षों में आधी–अधूरी सच्चाइयों का सहारा लेकर अपना कारोबार बढ़ाया है। पर्याप्त शैक्षिक ढांचा न होने, योग्य–अनुभवी शिक्षकों की कमी और प्रभावी अकादमिक शोध की अनदेखी के बावजूद विश्वविद्यालय परिसरों में उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर प्लेसमेंट के बाबत भी आंकड़ों को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया जाता है। दरअसल, यदि फैकल्टी डेवलपमेंट की कमी एक समस्या है, तो उससे अधिक चिंता करने वाली बात यह भी है कि कम स्टाफ पर ज्यादा काम करने का अतिरिक्त बोझ भी है। अंततः इस सब का खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनके हितों से ही समझौता किया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद निजी विश्वविद्यालयों के लिये फीस स्ट्रक्चर, कर्मचारियों के वेतन, अन्य खर्चों व सरकार से मिलने वाले फायदों या भर्ती और शिक्षा के मानकों के बारे बढ़ा–चढ़ाकर जानकारी देना मुश्किल नहीं होगा। कागजी कार्यवाही पूरी करने की उनकी महारत पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। सही मायने में असली चुनौती सख्त जांच–पड़ताल की होगी। खासकर उस वातावरण में जहां लंबे समय से नियमों और सही तौर–तरीकों की अनदेखी की जाती रही है। हकीकत में निजी विश्वविद्यालयों के लिये जिम्मेदारी और जवाबदेही अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। विश्वास किया जाना चाहिए कि देश में उच्च शिक्षा का नियमन करने वाली संस्थाएं अब अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करेंगी। तभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के सार्थक परिणाम सामने आ सकते हैं।

बंधक होता लोकतंत्र

ममता बनर्जी द्वारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करने और इसका 'घास और फूल' का चुनाव चिह्न डिजाइन करने के लगभग 28 साल बाद, 17 सितंबर 2026 को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पार्टी का नाम और चिह्न फ्रीज कर दिया। कुल 14 पन्ने के आदेश में कहा गया कि चूंकि दो विरोधी गुट – जिसमें से एक का नेतृत्व सुश्री बनर्जी कर रही हैं और दूसरे का अरूप रॉय – अब असल पार्टी होने का दावा कर रहे हैं, इसलिए इस मामले में 'ठोस निर्धारण' की जरूरत है और कोई भी गुट पार्टी के नाम या चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आयोग ने दोनों गुटों को नये नाम और चिह्न आवंटित किये हैं। एक तरह से सुश्री बनर्जी को अपनी पार्टी के नाम और चिह्न से महरूम कर दिया गया है। तकरीबन तीन दशकों तक, करोड़ों मतदाताओं ने अपनी आस्था इस पार्टी के नाम और चिह्न में जतायी है, सुश्री बनर्जी को तीन बार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री चुना है और इसके सांसदों के रूप में बीसियों लोगों को संसद भेजा है। अप्रैल 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी, कुल मतदाताओं में से 41 फीसदी या 2.60 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने सुश्री बनर्जी की पार्टी के लिए वोट किया। इतना ही नहीं, इसके और भारतीय जनता पार्टी के बीच केवल लगभग 32 लाख वोटों का अंतर था। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कहा है कि नाम और चिह्न फ्रीज करने की ऐसी ही कोशिशें शिवसेना के मामले में भी की गयीं। नाम और चिह्न फ्रीज करने की इस तरह की कार्रवाई को विपक्ष ने "पार्टी चोरी" और लोकतांत्रिक गिरावट का मामला बताया है।

राजनीतिक पार्टियां सजीव संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को सक्रिय और जीवंत रखती हैं और उन्हें खत्म करने की कोई भी कोशिश भारत के लोकतंत्र की एकदम बुनियाद पर हमला है। अगर किसी राजनीतिक पार्टी को खत्म होना है, तो यह केवल जनता के निश्चय से होना चाहिए। निर्वाचन आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाये गये हैं। आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 मतदाता सूचियों के हड़बड़ी में आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद कराया, जिससे लाखों मतदाता मताधिकार से वंचित रह गये और अब वह मुख्य विपक्षी पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज कर रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही गणतंत्र की नींव बनाते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के जरिए मतदाताओं की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने का साधन मानी जानी वाली राजनीतिक पार्टियों को जब छिन्न–भिन्न किया जाता है और उन्हें अपने नाम व चिह्न से वंचित किया जाता है, तो आयोग अपनी जिम्मेदारी से न तो पल्ला झाड़ सकता है और न ही प्रक्रियाओं व प्रथाओं की आड़ ले सकता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेतृत्व ने बार–बार दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद बतौर पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। निर्वाचन आयोग की मनमानी कार्यशैली से यह जाहिर होता है कि वह भाजपा के हितों के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रहा है।

चुनाव आयोग के अंदर किसकी मनमर्जी...!

–अभिनय आकाश–

क्या चुनाव आयोग के अंदर किसी की मनमर्जी चल रही है? आखिर क्या सच में दो चुनाव आयुक्तों ने नियम पालन न होने की शिकायत दर्ज कराई थी? क्या नए वोटरों को जोड़ने की प्रक्रिया में कोई अड़चने पैदा करने की कोशिश की गई। फॉर्म–6 की शक्तियों के मामले में सरकार की शक्तियों को भी ठेंगा दिखा दिया गया? चुनाव आयोग के जिन अधिकारियों को वोटर जोड़ने और हटाने का हक है, उनके हाथ क्या किसी ने बांध दिए? देशभर के वोटरों के डेटा को दिल्ली से कंट्रोल करने का चलन क्या शुरू किया गया? महीनों में 14 बार और एक ही दिन में कम से कम चार बार दो चुनाव आयुक्तों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करानी पड़ी। इन आपत्तियों के बावजूद फैसले क्यों ले लिए गए। क्या सच में ऐसी परिस्थितियां बनी की चुनाव आयुक्तों को जाकर कैबिनेट सेक्रेटरी से शिकायत करनी पड़ गई।

भारतीय चुनाव आयोग के भीतर कामकाज और पारदर्शिता को लेकर बड़ा अंदरूनी विवाद सामने आया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक, तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में बिना उनकी जानकारी के लिए गए कई बड़े फैसलों और जारी किए गए आदेशों पर कड़ा ऐतराज जताया है।

अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच दर्ज की गई लिखित आपत्तियों की समीक्षा की गई है। इस दौरान दोनों आयुक्तों ने कम से कम 14 बार लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराते हुए सवाल किया कि आखिर उनकी सहमति और जानकारी के बिना ये आदेश और निर्णय कैसे जारी किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, ये आपत्तियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, दो आयुक्तों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियां मतदाता सूची और पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़े अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित थीं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं–

विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया– मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से जुड़ी कार्यप्रणाली और उस पर लिए गए फैसले।

फॉर्म–6 में बदलाव– नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े फॉर्म–6 में किए गए संशोधन।

मतदाताओं के नाम जोड़ना और हटाना– वोटर लिस्ट में नए नामों को शामिल करने और पुराने नामों को हटाने की प्रक्रिया।

डेटा तक पहुंच– मतदाता सूची के संवेदनशील डेटाबेस का रखरखाव और उसकी एक्सेस।

अपील प्रक्रिया– मतदाता सूची से जुड़े निर्णयों के खिलाफ दायर होने वाली अपीलों की सुनवाई और निपटारे की व्यवस्था।

चुनाव आयोग का जवाब

चुनाव आयोग के सूत्रों ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेद हैं। सूत्रों ने कहा कि एसआईआर से जुड़े फैसलों समेत सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से सर्वसम्मति से लिए गए थे। सूत्रों ने कहा भारत के चुनाव आयोग के सभी फैसले, जिनमें एसआईआर भी शामिल है, सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए हैं। ईसीआई सूत्रों ने कहा कि हालांकि किसी भी मामले पर दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की अपनी–अपनी राय हो सकती है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग के सभी फैसले जिनमें एसआईआर भी शामिल है। सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए हैं। भारतीय चुनाव आयोग में फैसलों को लेकर सामने आई अंदरूनी आपत्तियों की खबरों के बीच अब आयोग से जुड़े सूत्रों का स्पष्टीकरण सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मसलों पर दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपनी टिप्पणियां और सवाल जरूर रखे थे, जिन पर अंतिम फैसला लेने से पहले विचार भी किया गया था। हालांकि, किसी भी चुनाव आयुक्त ने अंतिम फैसले के खिलाफ कोई औपचारिक 'डिसेंट' (असहमति नोट) दर्ज नहीं कराया। आयोग का कहना है कि जिन फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सभी आदेशों पर तीनों सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि किसी भी नीतिगत मामले पर आंतरिक चर्चा के दौरान आयुक्तों द्वारा सवाल उठाना या टिप्पणियां (ऑब्जर्वेशन) करना एक सामान्य और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका व अधिकार बराबर होते हैं। यदि किसी मुद्दे पर मतभेद हो, तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है।

यह स्पष्टीकरण उस मीडिया रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में एसआईआर से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर आपत्ति जताई थी और कई कदम बिना उनकी जानकारी के उठाए जाने पर सवाल खड़े किए थे।

चुनाव आयोग के कामकाज में आयुक्तों के बीच मतभेद या अलग राय दर्ज करने का यह पहला मामला नहीं है। भारतीय चुनावी इतिहास में ऐसे कई अहम मौके आए हैं–

2019 का अशोक लवासा मामला– 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आदर्श आचार संहिता से जुड़ी शिकायतों (जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण भी शामिल थे) के निपटारे पर अपने साथी आयुक्तों से अलग राय दर्ज कराई थी।

2009 का गोपालस्वामी विवाद– वर्ष 2009 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने सोनिया गांधी से जुड़े एक मामले में चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और नवीन चावला के रुख से अलग औपचारिक राय रखी थी।

वर्तमान में चुनाव आयोग तीन सदस्यीय निकाय के तौर पर काम करता है, लेकिन व्यवस्था हमेशा ऐसी नहीं थी। 1950 में जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, तब यह केवल मुख्य चुनाव आयुक्त वाला एक सदस्यीय निकाय था। 1950 से लेकर 1989 तक आयोग इसी एकल व्यवस्था के तहत संचालित होता रहा। बाद में इसे बहु–सदस्यीय बनाया गया, ताकि सभी महत्वपूर्ण चुनावी फैसलों में सामूहिक चर्चा और आम सहमति सुनिश्चित की जा सके।

इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है। विपक्षी पार्टियों और नेताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं और सीईसी ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की मांग की है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। पार्टी ने कहा कि शिकायतों से साफ है कि तीन सदस्यों वाले चुनाव आयोग में सिर्फ ज्ञानेश कुमार की ही चलती है। कांग्रेस ने कुमार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग में 'वोट चोरी' और राजनीतिक दखलंदाजी के अपने पुराने आरोपों को दोहराया। पार्टी ने कहा ज्ञानेश अपने बॉस मोदी की तरह ही तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं और मोदी को खुश करने के लिए 'वोट चोरी' में लगे हैं। हमने पहले भी कहा है – मोदी ने चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया है। ज्ञानेश कुमार मोदी की कठपुतली हैं। इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट इस बात को साबित करती है। मोदी और ज्ञानेश ने मिलकर देश के लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुँचाया है। लेकिन याद रखें – जब समय आएगा, तो सभी को जवाबदेह ठहराया जाएगा, जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस अपराध के लिए सजा जरूर मिलेगी।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस रिपोर्ट को 'बेहद गंभीर' बताया और आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त अपनी सही जिम्मेदारियों नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर किसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के सदस्य फैसले लेने के लिए आजाद नहीं हैं या उनकी चिंताओं को नहीं सुना जाता है, तो इसके लोकतंत्र पर गंभीर असर पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, 'इसका सीधा मतलब है कि सभी चुनाव आयुक्त अपनी सही जिम्मेदारियाँ नहीं निभा पा रहे हैं। अगर किसी स्वतंत्र संस्था के सदस्यों को सही काम करने की आजादी नहीं है या उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और खतरनाक हालात हैं। सत्ता में बैठे लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर लोकतंत्र के साथ धोखा करना एक गंभीर संवैधानिक अपराध है। यह लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश से कम नहीं है। यादव ने सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सीईसी को तुरंत हटाने और कोर्ट की निगरानी में जाँच के आदेश देने की माँग की। उन्होंने कहा, 'सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुँचाने के लिए लाखों वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना हमारे लोकतंत्र की नींव पर प्रहार है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद, इण्डिया गठबंधन की सभी विपक्षी पार्टियों ने सीजेआई और एससी जजों को पत्र लिखकर गंभीर चिंताएँ जताई थीं। हालाँकि, उन आरोपों की न तो जाँच हुई और न ही उन पर जरूरी गौर किया गया। जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले गंभीर सवाल बार–बार उठाए जाते हैं और फिर भी उन पर कोई सुनवाई नहीं होती, तो इससे संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट इससे मुँह नहीं मोड़ सकता। अंतिम जिम्मेदारी उसी की है। क्या श्री अध्यक्षता वाली बेंच इस पर कोई कदम उठाएगी?

दवा कंपनियों की लूट पर मौन क्यों..?

–नीरज कुमार दुबे–

बीमारी इंसान को केवल शारीरिक रूप से नहीं तोड़ती, बल्कि इलाज का खर्च कई परिवारों की आर्थिक कमर भी तोड़ देता है। ऐसे समय में जब कोई परिवार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, तब जीवन बचाने वाली दवा की कीमत में दस गुना तक का अंतर सामने आए तो सवाल सिर्फ महंगी दवा का नहीं रह जाता, बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही का बन जाता है। हम आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दवाओं की कीमतों में इसी भयावह अंतर पर गंभीर चिंता जताते हुए ऐसे सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब सरकार, दवा कंपनियों, नियामक संस्थाओं और अस्पतालों, सभी को देना होगा। मामला उस समय बेहद गंभीर हो गया जब अदालत के सामने बताया गया कि कैंसर की एक आवश्यक दवा खुदरा बिक्रेताओं को करीब 2,700 रुपये में उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन उसी दवा पर 27,000 रुपये का अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित है। यानी खुदरा मूल्य उस कीमत का लगभग दस गुना है जिस पर दवा खुदरा बिक्रेता तक पहुंच रही है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस अंतर पर कड़ा सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर किसी मरीज से इतनी बड़ी रकम क्यों वसूली जानी चाहिए और जिन अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था पर निगरानी रखनी चाहिए, वे चुप क्यों हैं।

देखा जाये तो यहां से सवालों की पूरी श्रृंखला शुरू होती है। अगर दवा की वास्तविक आपूर्ति कीमत और मरीज से वसूले जाने वाले मूल्य के बीच इतना बड़ा अंतर हो सकता है, तो मूल्य–निर्धारण की निगरानी कौन कर रहा है? अगर नियामक संस्थाएं मौजूद हैं, तो ऐसी कीमतें बाजार में पहुंचती कैसे हैं? और अगर नियम हैं, तो उनका पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय ने इस अंतर को लेकर बेहद कठोर भाषा का इस्तेमाल किया और इसे मरीजों के साथ 'दिनदहाड़े डकैती' तथा 'वसूली' जैसे शब्दों से जोड़ा। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब जीवनरक्षक दवा की कीमत इतनी अधिक हो

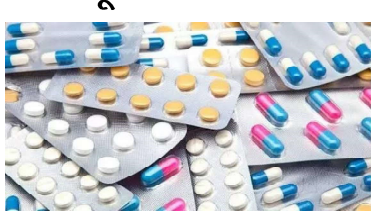

जाती है तो मजबूर मरीज क्या करे? अदालत के समक्ष यह बात भी रखी गई कि इलाज के लिए परिवारों को मकान और गहने तक बेचने पड़ते हैं। यही इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू है।

देखा जाये तो एक स्वस्थ व्यक्ति किसी वस्तु की ऊंची कीमत देखकर उसे खरीदने से इंकार कर सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी से जूझ रहा मरीज दवा को आसानी से मना नहीं कर सकता। कैंसर की दवा, हृदय की दवा या किसी दूसरी गंभीर बीमारी की आवश्यक औषधि उसके लिए विलासिता नहीं, जिंदगी की जरूरत है। ऐसे में मरीज और उसके परिवार की मजबूरी ही बाजार में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है।

सवाल यह भी है कि क्या किसी अस्पताल की अपनी दवा दुकान से ही दवा खरीदने के लिए मरीज को मजबूर किया जाना चाहिए? हम आपको बता दें कि याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि कुछ निजी अस्पताल मरीजों को बाहर से सस्ती दवा खरीदने की अनुमति नहीं देते और अस्पताल की ही दवा दुकान से महंगी दवा लेने के लिए मजबूर करते हैं। इन आरोपों की अंतिम कानूनी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन अदालत ने इन परिस्थितियों और कीमतों के अंतर को गंभीरता से लिया है।

देखा जाये तो मामला तब और गंभीर हो जाता है जब सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का पैसा इसमें शामिल हो। सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताई कि यदि किसी सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पताल महंगी कीमत पर दवा की प्रतिपूर्ति हासिल करता है, तो अंततः उस खर्च का भार करदाताओं पर पड़ सकता है। अदालत ने ऐसी स्थिति में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की आशंका पर भी सवाल उठाया।

यहां सरकार और नियामक तंत्र से एक और बड़ा सवाल है। जब दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था मौजूद है, तो क्या उसका दायरा पर्याप्त है? सुनवाई के दौरान यह मुद्दा सामने आया कि कई दवाएं मूल्य–सीमा के दायरे से बाहर हैं और गैर–अनुसूचित दवाओं की शुरुआती कीमत तय करने को लेकर नियामकीय खालीपन मौजूद है। हालांकि इस पूरे मामले में यह भी जरूरी है कि हर ऊंची कीमत को अपने आप घोटाला या हर अस्पताल और दवा कंपनी को दोषी न माना जाए। अस्पतालों के एक प्रमुख संगठन ने हाल में कहा है कि दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य अस्पताल तय नहीं करते और खरीद कीमत तथा मरीज से लिए गए मूल्य के अंतर को अलग–अलग परिस्थितियों में जांचना चाहिए। इसलिए असली जरूरत पारदर्शी जांच, कीमतों की स्पष्ट जानकारी और जिम्मेदारी तय करने की है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की मौजूदा सुनवाई ने कम से कम एक महत्वपूर्ण दरवाजा खोल दिया है कि अब सवाल पूछा जा रहा है। और आम आदमी के लिए यही सबसे बड़ी उम्मीद है। अदालत ने केवल महंगी दवा की शिकायत सुनकर मामला आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि यह पूछा कि कीमत तय करने की व्यवस्था क्या है, नियामक कहां है, मरीज पर इतना बोझ क्यों है और सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। हम आपको बता दें कि अगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को होनी है, जिसमें दवाओं की शुरुआती कीमत तय करने और सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता से जुड़े प्रस्तावों पर आगे विचार होना है।

पत्रकार कौन है और प्रचारक कौन?

– डॉ. प्रियंका सौरभ–

आज के दौर में यह पहचानना पहले से कहीं अधिक कठिन होता जा रहा है कि पत्रकार कौन है और प्रचारक कौन। समाचार माध्यमों की संख्या बढ़ी है, सूचना के स्रोत बढ़े हैं और सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मंच दिया है। लेकिन इसी विस्तार के बीच पत्रकारिता की मूल भूमिका को लेकर एक गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ हैकृक्या पत्रकारिता अभी भी सत्ता से सवाल करने का माध्यम है, या वह राजनीतिक और वैचारिक खेमेबंदी का हिस्सा बनती जा रही है? यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति, संस्था, चौनल या विचारधारा तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र में पत्रकारिता की विश्वसनीयता का प्रश्न इससे कहीं व्यापक है।

आज मीडिया पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि पत्रकारिता दो स्पष्ट खेमों में बंट गई है। एक खेमा सत्ता की लगभग हर नीति, निर्णय और बयान का बचाव करता दिखाई देता है, जबकि दूसरा सत्ता के लगभग हर कदम में कमी या दोष तलाशता नजर आता है। दोनों के अपने दर्शक, पाठक और समर्थक हैं। दोनों के पास अपने तर्क हैं और दोनों के आसपास अपनी–अपनी वैचारिक भीड़ है। समस्या यह नहीं कि पत्रकार सत्ता की आलोचना करता है या किसी नीति का समर्थन करता है। समस्या तब पैदा होती है जब पत्रकार की भूमिका ही किसी राजनीतिक पक्ष के समर्थन या विरोध तक सीमित हो जाए।

पत्रकारिता का काम सत्ता के पक्ष में खड़ा होना नहीं है। लेकिन उसका काम केवल सत्ता के विरोध में खड़ा होना भी नहीं है। उसका वास्तविक दायित्व सत्ता के सामने खड़ा होकर सवाल पूछना है। लोकतंत्र में सत्ता किसी एक दल, नेता या सरकार का निजी अधिकार नहीं होती। सत्ता जनता से प्राप्त जिम्मेदारी है और पत्रकारिता उस जिम्मेदारी की सार्वजनिक निगरानी का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए पत्रकार का पहला दायित्व किसी पार्टी, नेता या विचारधारा के प्रति नहीं, बल्कि तथ्यों, संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनहित के प्रति होना चाहिए।

यही कारण है कि पत्रकारिता में सवाल पूछना सबसे महत्वपूर्ण काम है। सरकार कोई निर्णय ले तो सवाल होना चाहिए कि वह निर्णय क्यों लिया गया, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लाभ किसे मिलेगा, उसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, उसके लिए कितना सार्वजनिक धन खर्च होगा और उसके परिणामों को कैसे मापा जाएगा। इसी तरह विपक्ष कोई दावा करे तो सवाल होना चाहिए कि उस दावे के तथ्य क्या हैं, उसका आधार क्या है, क्या उसका कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है और उसके वादे कितने व्यावहारिक हैं। सवाल का पैमाना व्यक्ति या दल नहीं, तथ्य और जनहित होना चाहिए।

आज पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल राजनीतिक दबाव नहीं है। एक दूसरी चुनौती भी उतनी ही गंभीर है दर्शकों और पाठकों की पसंद। लोग अक्सर वही सुनना चाहते हैं जो उनकी पहले से बनी धारणा की पुष्टि करता हो। इससे मीडिया संस्थानों पर भी वही सामग्री प्रस्तुत करने का दबाव बढ़ता है जिसे उनका निर्धारित दर्शक वर्ग पसंद करता है। यहीं से पत्रकारिता और प्रचार के बीच की सीमा धुंधली होने लगती है।

प्रचार का उद्देश्य किसी विचार, व्यक्ति या व्यवस्था के पक्ष में जनमत बनाना होता है। पत्रकारिता का उद्देश्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जनता को जानकारी देना और आवश्यक सवाल उठाना है। दोनों के बीच अंतर हमेशा शब्दों से नहीं, बल्कि काम करने की पद्धति से दिखाई देता है। पत्रकारिता में स्रोतों की जांच, दावों का सत्यापन, संदर्भ की पड़ताल और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत, जब निष्कर्ष पहले तय हो और तथ्य केवल उसे सही साबित करने के लिए चुने जाएं, तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

एक पत्रकार से गलती हो सकती है। कोई तथ्य गलत रिपोर्ट हो सकता है या किसी खबर में संदर्भ छूट सकता है। लेकिन विश्वसनीय पत्रकारिता की पहचान यह है कि गलती सामने आने पर उसे सुधारा जाए, स्रोतों की दोबारा जांच की जाए और अपनी रिपोर्टिंग पर लगातार आत्ममंथन किया जाए। निष्पक्षता का अर्थ यह भी नहीं कि हर मुद्दे पर दोनों पक्षों को बराबर सही बताया जाए। यदि किसी दावे के समर्थन में मजबूत तथ्य हैं और दूसरे दावे के समर्थन में नहीं, तो पत्रकार का दायित्व तथ्यों को उसी अनुपात में सामने रखना है। संतुलन का अर्थ झूठ और सच को बराबर वजन देना नहीं हो सकता।

इसी तरह सत्ता से सवाल करना सत्ता–विरोधी होना नहीं है। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना विरोध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही की प्रक्रिया है। जो सरकार जनता के नाम पर निर्णय लेती है, उससे जनता के सवाल पूछे जाना स्वाभाविक है। दुर्भाग्य से आज कई बार पत्रकार की पहचान उसके सवालों से कम और उसके राजनीतिक झुकाव की धारणा से अधिक की जाती है। पत्रकार ने सरकार से सवाल पूछा तो उसे विरोधी खेमे का बताया जाता है। उसने सरकार के किसी निर्णय के पक्ष में तथ्य रखे तो उसे समर्थक कह दिया जाता है। इस तरह पत्रकार के प्रश्न पर चर्चा कम और उसकी कथित निष्ठा पर चर्चा अधिक होने लगती है।

50 करोड़ की नोटिस के बाद बृजभूषण–बाबा रामदेव में सुलह

संवाददाता–गोण्डा। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच 4 साल से चल रही जुबानी जंग खत्म होती दिख रही है। बुधवार को बृजभूषण से बाबा रामदेव ने दिल्ली में मुलाकात की। दोनों ने एक सोफे पर बैठकर बातचीत की और हंसते–मुस्कुराते रहे। बाद में बाबा रामदेव ने दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योग गुरु ने कहा, आज बृजभूषण सिंह से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने सुनी–सुनाई बातों और वीडियो के आधार पर कुछ गलतफहमी पाल ली थी, जिसे बातचीत के बाद दूर कर लिया गया। बाबा रामदेव ने कहा कि वे किसी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते और अब अपनी ओर से इस मामले को खत्म कर रहे हैं। रामदेव के मुताबिक, मुलाकात के दौरान बृजभूषण सिंह ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हम संत सनातन का हमेशा आदर करते हैं और जो आप देश के लिए काम करते हैं, उसका भी सम्मान करते हैं। बृजभूषण सिंह 2022 से पतंजलि घी को नकली बता रहे थे। हाल ही में पतंजलि योगीपीठ के अध्यक्ष और आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण ने उन्हें 50 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा था। बाबा रामदेव ने पतंजलि के गाय के घी और दवाइयों को लेकर उठे सवालों पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि पतंजलि का गाय का घी नकली नहीं है और न ही पतंजलि की कोई देवा नकली है। उन्होंने अपने संन्यास को लेकर भी कहा कि उन्होंने संन्यास नशे के लिए नहीं लिया है। रामदेव ने कहा कि वह संन्यास के जीवन को प्रामाणिकता और पारदर्शिता के साथ जीते हैं। रामदेव ने कहा कि उनका जीवन भारत माता की सेवा के संकल्प को समर्पित है। उन्होंने कहा कि सुबह 3 बजे उठने से लेकर रात 10 बजे तक उनका जीवन इसी उद्देश्य के लिए काम करने में लगा रहता है। बाबा रामदेव ने कहा कि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य राजकुमार दास और बृजभूषण शरण सिंह के दाऊजी महाराज के साथ बैठकर हम लोगों ने आज इस मामले को खत्म कर लिया है। बाबा रामदेव ने कहा कि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य राजकुमार दास और बृजभूषण शरण सिंह के दाऊजी महाराज के साथ बैठकर हम लोगों ने आज इस मामले को खत्म कर लिया है। बाबा रामदेव ने अपने निजी जीवन को लेकर कहा कि उनके नाम एक इंच जमीन और एक रुपए का बैंक बैलेंस भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उनके पास कुछ नहीं था, तब भी वह अकिंचन थे और आज देश–दुनिया से बहुत कुछ मिलने के बावजूद जमीन पर चटाई बिछाकर सोते हैं। बहराइच की कैसरगंज सीट से सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह बाबा रामदेव पर निजी हमले करते रहे हैं। बहराइच में उन्होंने बाबा रामदेव को मिलावटी सामान बनाने वालों का सम्राट कहा था। उन्होंने कहा, यह केवल पतंजलि के घी का सवाल नहीं है। गांव–गांव में नकली पनीर और हर चौराहे पर नकली खाने के सामान की दुकानें खुली हुई हैं। 10 क्विंटल पनीर का ऑर्डर देने पर एक दिन में 10 क्विंटल पनीर उपलब्ध हो जाता है।

उन्होंने नकली खाद्य पदार्थों को बड़ी समस्या बताया था। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि वे सभी मिलावटी और नकली सामान बनाने वालों का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा था कि पतंजलि के कई ब्रांड देश से लेकर विदेश तक फैले हैं और कई देशों में उनके उत्पादों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उन्होंने सरकार से इस मामले पर ध्यान देने की मांग की थी। इसी बयानबाजी के बाद पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि दावा दायर किया था। यह मामला पतंजलि के घी की गुणवत्ता को लेकर बृजभूषण के सार्वजनिक बयानों से जुड़ा है और इसकी सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई है। पिछले साल 17 अगस्त को बृजभूषण ने बलरामपुर में कहा था– रामदेव काना, जिसके नाम पर कमा खा रहा, महर्षि पतंजलि का इतिहास भी यहीं गोंडा से है।

रिटायर बैंक मैनेजर के पूरे जीवन की कमाई साइबर ठगों ने उड़ाई, निवेश के नाम पर 64.30 लाख ठगे

संवाददाता–बहराइच। आर्यावर्त बैंक के रिटायर मैनेजर की जीवन भर की कमाई साइबर ठगों ने उड़ा दी है। बेहतर निवेश और शानदार रिटर्न का झांसा देकर 64.30 लाख रुपये की चपत लगा दी है। महिला समेत तीन लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर उन्हें ट्रेडिंग में निवेश का झांसा दिया और अलग–अलग खातों में कई किस्तों में रकम ट्रांसफर कराई। 64.30 लाख रुपये लेने के बाद ठगों ने 20 लाख रुपये और निवेश करने को कहा तो उन्हें ठगी का अहसास हुआ। मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

देहात कोतवाली के घसियारीपुरा निवासी राम आसरे शुक्ला कुछ वर्ष पहले सरकारी बैंक से रिटायर हुए थे। पीड़ित के मुताबिक कथित निशा वर्मा नाम की महिला ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल कर खुद को एक निजी बैंक की सिक्योरिटी में सहायक बताया। उसने बताया कि उसकी संस्था ट्रेडिंग का काम करती है और इसमें निवेश करने पर बेहतर रिटर्न मिलेगा।

मैनेजर का भरोसा जीतने के बाद फोन करने वाली महिला निशा ने व्हाट्सएप पर उनका आधार और पैनकार्ड मंगाया और एक एप के माध्यम से आवेदन कराया। इसके बाद व्हाट्सएप पर ही कथित संस्था के कस्टमर सर्विस प्रबंधक और प्रोफेसर उन्मेश शर्मा से उनकी बातचीत कराई गई।

इसके बाद उनसे अलग–अलग किस्तों में रकम खातों में ट्रांसफर कराई गई। 64 लाख से ज्यादा रुपए ट्रांसफर करने के बाद जब 20 लाख और डिमांड हुई तो मैनेजर को शक हुआ। इसके बाद महिला और उनके साथियों ने बरगलाना शुरू कर दिया। इससे मैनेजर को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। निशा वर्मा, प्रोफेसर उन्मेश शर्मा और कथित कस्टमर सर्विस प्रबंधक के खिलाफ तहरीर दी। देहात कोतवाल दहन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

20 अगस्त को एक लाख रुपये, 21 अगस्त को 3.50 लाख, 31 अगस्त को 10 लाख, एक सितंबर को 20 लाख, इसके बाद 14.80 लाख और सात सितंबर को 15 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए भेजे गए। इस तरह कुल 64.30 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके बाद 20 लाख रुपये और निवेश करने का दबाव बनाया गया तो पीड़ित को ठगी का शक हुआ और एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जिन खातों में रुपए भेजे गए थे, उनकी डिटेल निकलवाई जा रही है।

पुतला फूंकने को लेकर पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का–मुक्की

संवाददाता–बहराइच। एसआईआर, बेरोजगारी, महंगाई और दलित–पिछड़ों के उत्पीड़न के विरोध में बुधवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीपल तिराहे के पास प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का–मुक्की हो गई। इससे मौके पर कुछ देर तक गहमागहमी बनी रही। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पीपल तिराहे के पास एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने एसआईआर, बेरोजगारी, महंगाई और दलित–पिछड़ों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन की सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने पुतला छीनकर प्रदर्शन रोकने की कोशिश की, जिस पर दोनों पक्षों के बीच धक्का–मुक्की शुरू हो गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने दावा किया कि कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के पुतले का दहन कर दिया। वहीं पुलिस ने पुतले को कब्जे में लेने का प्रयास किया। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एसआईआर, बेरोजगारी और महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। बाद में कार्यकर्ता वहां से हट गए। इस दौरान शेख जकरिया शेखू, शरीफ बाबू खान, भाकपा प्रताप पाठक, नदीम अहमद समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आयुर्वेद दिवस पर 1200 लोगों ने किया योगाभ्यास

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। कनीगंज स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय (25 शैय्या) के परिसर में बुधवार को 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। आयुष विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में करीब 1200 नागरिकों, छात्र–छात्राओं और क्षेत्रवासियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। स्वास्थ्य मेले में आयुर्वेद, यूनानी, पंचकर्म, प्रकृति परीक्षण और विभिन्न स्वास्थ्य जांच की निश्शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई।कार्यक्रम जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी एवं मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में हुआ। मुख्य अतिथि महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी रहे। संयोजन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. महेंद्र सिंह श्रविष्णु ने किया। योग प्रशिक्षकों और सहायकों ने विभिन्न आसनों का प्रदर्शन कराया।आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में डॉ. मिथलेश कुमार वर्मा, डॉ. अमृता सिंह एवं डॉ. सरिता त्रिपाठी ने मरीजों की जांच कर परामर्श दिया। यूनानी शिविर में डॉ. आदित्य प्रकाश एवं डॉ. तसलीम ने रोगियों का परीक्षण किया। जीवनशैली संबंधी रोगों के प्रति डॉ. हर्ष कुमार मिश्र एवं डॉ. राहुल सिंह ने लोगों को जागरूक किया।पंचकर्म शिविर में डॉ. गिरिजेश्वर उपाध्याय एवं डॉ. अशफाक ने विभिन्न शोधन विधियों की जानकारी दी। प्रकृति परीक्षण में डॉ. धर्मेंद्र कुमार वर्मा एवं डॉ. कविता निगम ने वात, पित्त और कफ के आधार पर आहार–विहार की जानकारी दी। बच्चों के लिए डॉ. लवकुश निगम ने स्वर्ण प्राशन कराया।फार्मासिस्टों ने निश्शुल्क आयुर्वेदिक–यूनानी औषधियां वितरित कीं। नर्सिंग स्टाफ ने ब्लड शुगर, रक्तचाप और वजन की जांच की। वन विभाग के सहयोग से तुलसी, गिलोय, नीम, कालमेघ, सहजन और अश्वगंधा के पौधे भी वितरित किए गए। महापौर ने आयुर्वेद और योग को दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया।

8 बकरियां चोरी करने वाले गिरफ्तार 6 बकरियां बेचकर शराब पी लिया

संवाददाता–देवरिया। जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के राउतपार गांव में डिजायर कार से आठ बकरियां चोरी करने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को दिन में तीन बजे दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की दो बकरियां और घटना में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने छह बकरियां बेच दी थीं। उनसे मिले पैसों से वे शराब पीते थे और कार में पेट्रोल भराते थे। राउतपार गांव के रहने वाले सौदागर अंसारी के घर 14 सितंबर की रात करीब ढाई बजे बकरियों के चिल्लाने की आवाज आई। वह अपने बेटे समीर अंसारी के साथ बाहर निकले। उन्होंने देखा कि तीन लोग उनकी पांच बकरियां और तीन बकरे एक डिजायर कार में लाद रहे थे। सौदागर ने शोर मचाते हुए कार का पीछा किया, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार से भाग निकले। इसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई और गांव में भी उनकी तलाश की गई। काफी तलाश के बाद सौदागर अंसारी ने बरियारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 303(2)& 317(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। बुधवार दोपहर तीन बजे पुलिस ने महुआपाटन पुल के पास से गोरखपुर के नंदानगर निवासी अंकुर पासवान और गौरीबाजार के देवकुआं निवासी राम भवन को पकड़ा। उनके पास से दो बकरियां मिलीं। पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार (यूपी 52 बीयू 5637) को भी जब्त कर लिया। थानेदार दीपक सिंह ने बताया कि चोरों ने आठ बकरियों में से पांच बकरे और एक बकरी रास्ते में ही लोगों को बेच दी थी। बिक्री से मिले पैसे उन्होंने शराब पीने और कार में पेट्रोल भराने में खर्च कर दिए। बाकी बची दो बकरियां लेकर दोनों आरोपी रिश्तेदारी में जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना में शामिल तीसरे व्यक्ति और चोरी की बकरियां खरीदने वालों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

जमीन की पैमाइश, पुलिस की जीप और छलांग, कमलेश की मौत के बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल सस्पेंड

संवाददाता–श्रावस्ती। एक जमीन की पैमाइश चल रही थी. राजस्व की टीम मौके पर थी. पुलिस भी पहुंची थी, ताकि मामला बिगड़े नहीं. लेकिन पैमाइश के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि छह लोगों को पुलिस थाने ले जाने लगी। इनमें पांच महिलाएं और एक पुरुष थे। पुलिस वाहन अभी चला ही था कि उस पुरुष ने गाड़ी का गेट खोला और बाहर कूद गया. नाम था कमलेश... चलती गाड़ी से गिरने के बाद कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया. हालत ज्यादा बिगड़ी तो जिला अस्पताल रेफर किया गया. लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। कमलेश की मौत के बाद इस मामले में राजस्व विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। प्रशासन ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल को निलंबित कर दिया है. मामले की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है। मामला श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र का है। जमीन से जुड़े विवाद को लेकर तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसके बाद एसडीएम इकौना के आदेश पर नायब तहसीलदार आयुष के साथ राजस्व टीम सिसवारा गांव के मदारपुरवा और पुरुषोत्तमपुर पहुंची थी. मकसद था जमीन की पैमाइश करना. पुलिस की महिला और पुरुष टीम भी साथ थी। वजह थी शांति व्यवस्था बनाए रखना. लेकिन पैमाइश के दौरान मामला शांत नहीं रहा।

पुलिस के मुताबिक, कुछ लोग सरकारी काम में बाधा डालने लगे. इसके बाद पांच महिलाओं और एक पुरुष को थाने ले जाने की कार्रवाई की गई। इन्हीं छह लोगों में कमलेश भी था. पुलिस के मुताबिक, छह लोगों को वाहन से थाने ले जाया जा रहा था। गाड़ी चलने के बाद कमलेश ने वाहन का गेट खोल दिया। फिर उसने चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश की. वह सड़क पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिसकर्मी उसे इलाज के लिए सीएचसी सदर पहुंचे. वहां से उसे संयुक्त जिला अस्पताल निगरा रेफर किया गया। लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने कमलेश को मृत घोषित कर दिया। एएसपी चंद्रकेश सिंह के मुताबिक, कमलेश ने चलती पुलिस गाड़ी से कूदने का प्रयास किया था. कमलेश की मौत के बाद उसके परिवार ने राजस्व टीम की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। परिवार का आरोप है कि जमीन विवाद के दौरान राजस्व टीम की मौजूदगी में दूसरा पक्ष निर्माण कर रहा था। परिवार के लोग इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि निर्माण से जुड़े आदेश को पहले स्पष्ट किया जाना चाहिए था।

यानी यहां दो बातें सामने आ रही हैं। पुलिस का कहना है कि सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में कमलेश समेत छह लोगों को थाने ले जाया जा रहा था और इसी दौरान कमलेश चलती गाड़ी से कूद गया। वहीं, परिवार जमीन विवाद और निर्माण को लेकर सवाल उठा रहा है. राजस्व पक्ष की ओर से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विपक्षी पक्ष किस आदेश के आधार पर निर्माण कर रहा था। कमलेश की मौत के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया. राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पूरे मामले की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है. जांच में राजस्व टीम और पुलिस की भूमिका को भी देखा जाएगा।

सवाल यह भी है कि जमीन की पैमाइश के दौरान आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि छह लोगों को पुलिस को थाने ले जाना पड़ा। जमीन विवाद के दौरान क्या हुआ था. निर्माण किस आदेश के आधार पर हो रहा था। और पूरे घटनाक्रम में राजस्व और पुलिस की भूमिका क्या थी। इन सवालों के जवाब जांच समिति की रिपोर्ट से सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक इलाके में शांति और कानून व्यवस्था सामान्य है।

पुलिस और गौतस्करों की मुठभेड़, गोली लगने से दो अपराधी घायल, दबोचे गए कई और साथी

संवाददाता–गोण्डा। जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके दो साथियों को पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, धारदार चाकू, और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, टेपरा मगुरही निवासी श्रवण कुमार शुक्ला ने 22 सितंबर को थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी गाय और बछिया को खेत में चरने के लिए बांधा था, लेकिन शाम को लौटने पर बछिया गायब मिली। पीड़ित ने कुछ स्थानीय लोगों पर संदेह जताया था। तहरीर मिलने के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। एएसपी राधेश्याम राय ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए कटराबाजार पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। टीमों ने संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। मंगलवार रात करीब 12रू55 बजे बनगांव से कटराबाजार जाने वाली सड़क पर पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्धों को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस का कहना है कि खुद को घिरता देख बाइक सवार वाहन छोड़कर भागने लगे और पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग कर दी। पुलिस की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में मंगुरही निवासी कबीउल्लाह के पैर में गोली लग गई। वहीं, उसके दो अन्य साथी सुहेल और शमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें भी दबोच लिया। पुलिस ने घायल आरोपी कबीउल्लाह के पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया, जबकि बाइक की डिग्गी की तलाशी लेने पर एक बड़ा धारदार चाकू मिला। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कबीउल्लाह (निवासी मंगुरही), सुहेल (निवासी तेलिन पुरवा) और शमी (निवासी मंगरही) के रूप में हुई है। घायल आरोपी कबीउल्लाह पर पूर्व से भी तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

सरयू घाट पर ड्यूटी से गायब पांच सफाईकर्मियों को अंतिम नोटिस

संवाददाता–गोंडा। कजरीतीज पर्व के मद्देनजर करनैलगंज के सरयू घाट पर साफ–सफाई के लिए लगाई गई ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले पांच सफाईकर्मियों पर कार्यवाही की तैयारी शुरू हो गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय की ओर से सभी को अंतिम नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। करनैलगंज विकासखंड के तरुण कुमार दुबे, मो. रफी, शिवाधार ओझा, मधुर श्याम तिवारी और उमेश कुमार सिंह को नोटिस भेजी गई है। डीपीआरओ कार्यालय के अनुसार 15 सितंबर को सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

डीपीआरओ कार्यालय ने बुधवार को अंतिम नोटिस जारी किया है। सभी को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), करनैलगंज के माध्यम से तीन दिन के भीतर जवाब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

विनोद साहनी हत्याकांडः परिजनों से मिलने जा रहे पूर्व मंत्री` हाउस अरेस्ट

संवाददाता–गोण्डा। रेक्सड़िया निवासी बर्तन व्यापारी विनोद साहनी की हत्या के बाद जिले में सियासी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह को उनके भभुआ स्थित आवास पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। सुबह से ही उनके आवास के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। इससे आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पूर्व मंत्री ने पुलिस की कार्रवाई को निजता का हनन बताते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी नोटिस के घर में नजरबंद किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के इशारे पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि बिना नोटिस हाउस अरेस्ट किए जाने के मामले में वह न्यायालय की शरण लेंगे।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से सत्ता पक्ष घबरा रहा है। इसी कारण विपक्षी नेताओं को लोगों से मिलने से रोका जा रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से हाउस अरेस्ट के संबंध में तत्काल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

विनोद साहनी के परिजनों से मिलने के लिए नेताओं के रेक्सड़िया पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने जिले की प्रमुख सड़कों पर भी निगरानी बढ़ा दी है। चचरी, भौरीगंज, परसपुर और शाहपुर मार्ग पर पुलिस ने बैरियर लगाए हैं। इन इंतजामों का उद्देश्य लोगों को रेक्सड़िया गांव तक पहुंचने से रोकना बताया जा रहा है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर सीडीओ ने भगवान धन्वंतरि के चित्र पर पुष्पांजलि कर रैली को हरी झंडी दिखाई

संवाददाता–देवरिया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में मनाया गया। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर ढाई बजे तक चला। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) राजेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने भगवान धन्वंतरि के चित्र पर फूल चढ़ाए और दीप जलाया। इसके बाद सीडीओ राजेश कुमार सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों की आयुर्वेद जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त जीवन के लिए आयुर्वेद को अपनाना जरूरी है। सीडीओ ने बताया कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने लोगों से आयुर्वेद के प्रति जागरूक होने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. जयराम यादव ने बताया कि आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करता। यह संतुलित जीवन, सही खानपान और प्रकृति के साथ तालमेल पर भी जोर देता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के जरिए लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया जा सकता है। नगर पालिका देवरिया की अध्यक्ष अलका सिंह ने कहा कि आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत की इस प्राचीन चिकित्सा परंपरा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना अहम है। बरहज नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता जायसवाल ने भी लोगों से आयुर्वेद को जानने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की।

इस कार्यक्रम में डॉ. सृजन कुमार राय, संजय कुमार पांडेय, डॉ. अजीत नारायण मिश्र, अनंत कुमार वर्मा, डॉ. श्वेता त्रिपाठी, डॉ. उपेंद्र गिरि, डॉ. संजय कुमार सिंह, डॉ. राज कपूर, डॉ. रजनीश यादव, पारितोष सिंह, गौरव शाही, योग प्रशिक्षक वेद प्रकाश दुबे, जितेंद्र दीक्षित, पिंटू लाल यादव, ममता, दीपा, अंजली कुशवाहा, यतेंद्र सागर, प्रीति सिंह, कंचन तिवारी, पूजा मधेशिया और योग प्रशिक्षक शाहीन फातिमा सहित कई लोग मौजूद रहे।

पोषण योजनाओं की समीक्षा, कम फीडिंग पर डीएम नाराज

संवाददाता–श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार शाम करीब 4 बजे जिला पोषण समिति और संभव अभियान–6.0 की समीक्षा बैठक हुई। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं से जुड़ी पोषण एवं स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। पोषण ट्रैकर ऐप पर एफआरएस और दक्षता मापन की कम फीडिंग मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। डीएम ने निर्देश दिए कि 23, 24 और 25 सितंबर को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से 6 वर्ष तक के पंजीकृत बच्चों का दोबारा वजन कराया जाए। वजन के आधार पर बच्चों की पोषण श्रेणी सैम, मैम और सामान्य तय की जाएगी। सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं को तीनों दिन क्षेत्र में रहकर अभियान की निगरानी करने के निर्देश दिए गए। उन्हें हर दिन की रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजने को भी कहा गया। डीएम ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित रूप से खोलने और अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग, टीएचआर फीडिंग, घर–घर सर्वे, आधार सत्यापन और ई–कवच ऐप पर सैम बच्चों के प्रबंधन व फॉलोअप की समीक्षा की गई। एफआरएस के जरिए टीएचआर वितरण कम पाए जाने पर डीएम ने सभी पात्र लाभार्थियों को तय मानक के अनुसार पोषाहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि बच्चों और महिलाओं के पोषण से जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहीं भी ढिलाई मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद रस्तोगी ने किया।

सोशल मीडिया ने प्रस्तुत किया अर्धसत्य का नया तथ्य, जो कभी सत्य नहीं होता -सीएम योगी

संवाददाता-गोरखपुर। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामान्य जीवन में व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने सत्य और असत्य के बीच एक नया तथ्य प्रस्तुत कर दिया है, अर्धसत्य का, जो कभी सत्य नहीं होता। ऐसी स्थितियों में पूरी दुनिया की मानवता अवसाद की शिकार है, उसके सामने चुनौती है। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 57वीं एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में बुधवार अपराह्न श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ के शुभारंभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में व्यासपीठ का पूजन करने के बाद उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज विज्ञान भले ही कितना ही आगे बढ़ चुका हो, लेकिन जीवन में स्थायी शांति के लिए विश्व की मानवता केवल भारत भूमि को ही देखती है।

भारत भूमि पर पावन कथाओं की परंपरा कठिन चुनौतियों में व्यक्ति का मार्ग सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन करती है। पवित्र कथाओं के वाचन और श्रवण की परंपरा, हजारों वर्षों की विरासत को समझने का भी अवसर होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में जब आचरण और विचार के बीच साम्यता प्रभावकारी होती है। व्यक्ति जब मनसा, वाचा, कर्मणा से एक दिशा में चलता है तो उसे सफलता प्राप्त होती है। मन, वचन और कर्म में एकरूपता न रहने पर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसे लेकर भ्रम पैदा होने पर 'न घर का, न घाट का' वाली स्थिति बन जाती है। श्रीमद्भागवत की कथा मनुष्य के इसी भ्रम को दूर करती है।

कथा व्यास मलूकपीठाधीश्वर श्री राजेंद्रदास जी महाराज का गोरक्षपीठ में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण के वाचन और श्रवण की परंपरा 5000 वर्ष पुरानी है। भारत का श्रद्धालु इस कथा के माध्यम से ज्ञान, भक्ति व निष्काम कर्म की प्रेरणा प्राप्त करता है। जीवन के उद्देश्य व रहस्यों को समझने के लिए यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5000 वर्ष पहले शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को इस कथा का श्रवण कराया, तबसे एक लंबा कालखंड बीत गया। सनातन संस्कृति ने सम-विषम परिस्थितियों सहित तमाम चुनौतियों का सामना किया। उत्थान-पतन की कहानियों के बीच भी यह कथा हम सबकी स्मृतियों में बची रही। यह कथा जीवन की वास्तविकता का एहसास करते हुए अज्ञानता से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। मुख्यमंत्री के संबोधन के उपरांत व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यास, वृंदावन से पधारे मलूकपीठाधीश्वर श्रीमदजगद्गुरु द्वाराचार्य अग्रपीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्रदास जी महाराज ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कराया। कथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक सुनाई जाएगी। इसका विराम 29 सितंबर को होगा।

श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ के शुभारंभ से पूर्व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मुख्य मंदिर से कथा स्थल (दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार) तक शंख ध्वनि की गूंज तथा वेदपाठी विद्यार्थियों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महापुराण की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा के कथा स्थल पहुंचने पर अखंड ज्योति स्थापित की गई।

पोथी प्रतिष्ठा और कथा व्यास के विराजमान होने के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य यजमान ने व्यासपीठ और कथा व्यास की पूजा की। इस अवसर पर जगद्गुरु स्वामी सुग्रीव किलाधीश अयोध्या के विश्वेश प्रपन्नाचार्य, रामलला सदन अयोध्या के जगद्गुरु राघवाचार्य, स्वामी श्रीधराचार्य, महंत नारायण गिरी, अवधेश दास, रामलखन दास, राजू दास, रामानंद दास, बालक दास, जयबख्श दास सहित अनेक संत, यजमानगण और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

पति के सिर खून सवार, पत्नी और सास पर चाकू से ताबड़तोड वार

संवाददाता-अम्बेडकरनगर। आलापुर थाना क्षेत्र के सन्दहां मजगवां गांव में प्रेम विवाह के महज छह माह बाद पति-पत्नी के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि पति ने पहले अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। पत्नी की चीख सुनकर उसे बचाने पहुंची सास पर भी चाकू से वार कर दिया। हमले में पत्नी और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं, घटना के दौरान हुई मारपीट में आरोपी पति भी घायल हो गया। एक साथ तीन लोगों के घायल होने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले में कार्यवाही करने में जुटी है।

आलापुर थाना क्षेत्र के सन्दहां मजगवां निवासी जय हिंद उम्र लगभग 23 साल ने करीब छह माह पहले गांव की ही मिथिलेश पुत्री मंगरु राम उम्र लगभग 21 साल से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों जनपद मुख्यालय अकबरपुर में रह रहे थे। करीब एक सप्ताह पहले ही दोनों गांव लौटे थे। इसके बाद मिथिलेश अपनी मां शोभावती उम्र 60 साल के घर चली गई, जबकि जय हिंद अपने घर रहने लगा।

बताया जाता है कि मंगलवार देर शाम को मिथिलेश शौच के लिए गई थी। आरोप है कि इसी दौरान किसी बात को लेकर नाराज जय हिंद ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से मिथिलेश के चेहरे पर गहरी चोट आई और वह चीखने लगी। बेटी की चीख सुनकर उसकी मां शोभावती मौके पर पहुंचीं और बीच-बचाव करने लगीं। आरोप है कि युवक ने उन पर भी चाकू से वार कर दिया। हमले में शोभावती भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। रात में अचानक चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। इस दौरान हुई मारपीट में आरोपी जय हिंद भी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस ने घायल जय हिंद को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में भर्ती कराया। वहीं गंभीर रूप से घायल मिथिलेश और उसकी मां शोभावती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसखारी भेजा गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। आलापुर थानाध्यक्ष शशांक शुक्ला ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता के पिता मंगरु राम की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राम मंदिर दान चोरी की चार्जशीट दाखिल, बिना दिखाए जमा करने पर वकील आक्रोशित

संवाददाता-अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर से दान चोरी के मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों को लेकर बुधवार को पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। बुधवार को ही आरोपियों की गिरफ्तारी को 90 दिन पूरा हो रहा था। इससे पहले ही पुलिस ने जांच पूरी कर भ्रष्टाचार निवारण की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत में विवेचक दो बक्सों में कई पन्नों की चार्जशीट लेकर पहुंचे और उसे न्यायालय में जमा किया। अदालत खुलते ही चार्जशीट दायर होने की जानकारी मिलते ही वकील आक्रोशित हो गए। उन्होंने पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए। बार एसोसिएशन ने बैठक बुलाई और इस तरह से गुपचुप चार्जशीट दायर करने पर आपत्ति जताई। अदालत से चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले बार अध्यक्ष का भी पक्ष सुनने की अपील की। वकील यह भी जानना चाहते थे कि आखिर चार्जशीट में ट्रस्ट के पदाधिकारी रहे चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम हैं या नहीं। कुवार की सुबह चार्जशीट दाखिल होने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोर्ट परिसर में जुट गए। बार एसोसिएशन की ओर से चार्जशीट को लेकर विरोध जताया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि चार्जशीट पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने से पहले बार अध्यक्ष का पक्ष सुना जाए। इस संबंध में बार अध्यक्ष ने अदालत के समक्ष अपनी बात रखने की मांग की।

सुबह कोर्ट खुलते ही पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल कोर्ट पहुंचा। बार अध्यक्ष की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान से पहले उन्हें सुनने की मांग की गई। इस पर अदालत ने बार अध्यक्ष को सुनने के लिए समय दिया है। अधिवक्ता यह जानना चाह रहे हैं कि चार्जशीट में पूर्व महासचिव चंपत राय, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत अन्य का नाम है या नहीं। चार्जशीट में आरोपियों की संख्या बढ़ाई गई है या पूर्व में सामने आए आरोपियों के खिलाफ ही आरोपपत्र दाखिल किया गया है, इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में क्या-क्या तथ्य और धाराएं शामिल की गई हैं, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। कहा जा रहा है कि अदालत की प्रक्रिया के बाद ही इसकी जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। गौरतलब है कि जून में राम मंदिर चोरी का मामला सामने आने के बाद एसआईटी की भी जांच शुरू हुई थी। एसआईटी के ही निर्देश पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर कर उन्हें गिरफ्तार किया था। समय समय पर उनका रिमांड लिया गया और रुपयों की बरामदगी भी की गई थी।

बड़हलगंज में किन्नरों के दो गुटों में छिड़ी वर्चस्व की जंग, कोतवाली बनी अखाड़ाय 400 किन्नरों का जमावड़ा

संवाददाता-गोरखपुर। बड़हलगंज क्षेत्र में यजमानों और बधाई वसूली के वर्चस्व को लेकर किन्नर समाज के दो गुटों के बीच जारी विवाद बुधवार को बड़हलगंज कोतवाली परिसर में सार्वजनिक अखाड़े में तब्दील हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों से दर्जनों बोलेरो व कारों के काफिले से करीब 400 किन्नर कोतवाली में उतर पड़े।

परिसर में ही आमने-सामने आए दोनों गुटों ने ताली बजाकर अपनी गुप्त भाषा में एक-दूसरे को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, जिससे भारी पुलिस बल के सामने ही हिंसक संघर्ष और मारपीट जैसी गंभीर स्थिति बन गई। सुबह 10 बजे से ही कोतवाली परिसर में किन्नरों का जुटना शुरू हो गया था। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्ष आर-पार के मूड में दिखे और कोतवाली परिसर में हंगामे के चलते हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता और संभावित बड़े बवाल को भांपते हुए कोतवाल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला और कड़ा रुख अपनाते हुए पहले उग्र हो रहे किन्नरों को तितर-बितर कर माहौल संभाला।

मामले को शांत कराने के बाद पुलिस ने दोनों गुटों के मुखियाओं को चेंबर में तलब किया। बड़हलगंज पक्ष से लल्लन व बिजली किन्नर तथा देवरिया पक्ष से सरोजा व कोमल किन्नर को आमने-सामने बैठाकर वार्ता शुरू की गई। बड़हलगंज के किन्नर लल्लन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और बीच का रास्ता निकालते हुए सीमा तय की।

समझौते के तहत देवरिया क्षेत्र के किन्नरों को बड़हलगंज की सीमा स्थित डेरवा तक के यजमानों को डील करने का अधिकार दिया गया, जिसके बाद जाकर दोनों पक्ष शांत हुए। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार, बधाई और यजमानी वसूली के इलाकों को लेकर दोनों गुटों में कई दिनों से खींचातान चल रही थी। पुलिस के इस त्वरित हस्तक्षेप और लिखित-मौखिक समझौते के बाद फिलहाल कई दिनों से जारी इस हाई-वोल्टेज ड्रामे पर विराम लग गया है। क्षेत्र को लेकर दोनों गुटों में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो कभी भी हिंसक रूप ले सकता था। फिलहाल देवरिया पक्ष की किन्नर सरोजा को डेरवा तक की सीमा देकर अस्थाई रूप से मामला शांत कराया गया है। सरोजा जिस दिन अपना गुरु तय कर लेंगी, उस दिन नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा-अतुल कुमार श्रीवास्तव, कोतवाल

छात्रों पर फायरिंग करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता-संतकबीरनगर। जिले के कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने छात्रों पर फायरिंग करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटनास्थल से 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर बरामद किया।

दुधारा क्षेत्र के रजापुर सरैया गांव के रहने वाले ध्रुवचंद ने तहरीर देकर आरोप मढ़ा कि उसका 15 वर्षीय बेटा रमन सुबह 7.20 बजे अपने दोस्त हरिओम पुत्र जितेन्द्र के साथ कोचिंग से बाहर निकल कर घर जा रहा था। उसी दौरान विपक्षी प्रियांशु दूबे उर्फ टायसन निवासी गोरखल गैस गोदाम, डब्लू यादव, सोनू निवासी नेदुला खलीलाबाद और 05 अज्ञात लडकों के साथ आकर उसके बेटे और हरिओम को भी मारा पीटा। आरोप है कि उसके बेटे रमन को जान से मारने के लिए पिस्टल से 02 बार फायरिंग की। गोली बेटे के सिर से छूकर निकल गई। वह उक्त घटना से काफी डरा एवं भयभीत है। उसके साथ कभी भी अनहोनी घटना घटित हो सकती है। पुलिस ने तीन नामजद समेत 08 आरोपियों पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।

कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि सूचना पर कांटे चौकी इंचार्ज प्रभांशु राय, कांस्टेबल आलोक पाल, कांस्टेबल सचिन ने फायरिंग मामले में आरोपी नंद किशोर उर्फ सोनू निवासी थवईपार कोतवाली खलीलाबाद, हाल मुकाम कालीपुरम नेदुला को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने घटनास्थल से 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर पेंदे पर अंकित 7.65 केएफ बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथी के सम्पर्क में था। जिसके द्वारा फोन कर दो व्यक्तियों को रास्ते में रोककर मारने की बात कही। इसके बाद वह अपने अन्य साथियों के साथ अपूर्वा इंटर कॉलेज उमरिया के पास पहुंचा। आरोपी के कथनानुसार वहां दो युवक मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए। उन्हें रोकने के बाद मारपीट की गई तथा उसके साथी द्वारा उसके पास मौजूद पिस्टल से दोनों युवकों पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया।

सपा नौजवानों को कट्टा सप्लाई करती थी, अब समय बदल गया -ब्रजेश पाठक

संवाददाता-संतकबीरनगर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बुधवार को संतकबीरनगर पहुंचे। वह धनघटा विधानसभा क्षेत्र के शिवबखरी अस्पताल में निर्माणाधीन सीएचसी भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार वह गांव में बने हेलीपैड पर दोपहर दो बजे उतरे। इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन अस्पताल का जायजा लिया। डिप्टी सीएम ने इसी वर्ष दिसंबर तक अस्पताल शुरू होने का आश्वासन दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) पर हमला बोला। पाठक ने कहा कि यह पार्टी यूपी में कट्टा कॉपरेटिव सोसाइटी बनाकर नौजवानों को कट्टा सप्लाई करती थी। उन्होंने आगे कहा कि अब वह समय बदल गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अयोध्या, काशी और मथुरा के डेवलपमेंट पर हमेशा सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन प्रदेश में चार बार सपा की सरकार रहने के बावजूद अयोध्या का विकास के लिए तरसा रहे थे।

उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार अयोध्या को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में विकसित कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर तक पत प्रतिबंध लगा दिया गया था। समाजवादी पार्टी को सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के आधार पर सनातन पर तरह तरह का आक्षेप लगाकर अयोध्या के विकास का रास्ता अवरुद्ध करते हैं

बरियावन मामलाः अब सीओ सिटी पर भी गिरी गाज

संवाददाता-अम्बेडकरनगर। अकबरपुर के बरियावन में रातोंरात मकान-दुकानें गिराए जाने के मामले में कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब सीओ सिटी पर भी गाज गिरी है। सीओ सिटी नीतीश कुमार को पुलिस कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। उनकी जगह आलापुर के सीओ अरुण कुमार नौहवार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं यातायात की जिम्मेदारी संभाल रहे जितेंद्र कुमार सिंह को सीओ आलापुर बनाया गया है। मामले में इंस्पेक्टर सहित चार पुलिसकर्मी व एक लेखपाल का निलंबन पहले ही चुका है। बताते चलें कि बरियावन में 20 सितंबर की रात जेसीबी से दबंगों ने 11 मकान-दुकानें ध्वस्त कर दी थीं। मामले में मंगलवार को पुलिस ने जांच के दौरान तीन जेसीबी जब्त कीं और दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के मुताबिक, पीछे की जमीन तक रास्ता बनाने के लिए दुकानों को गिराए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में जमीन मालिकों की भूमिका की भी जांच शुरू की है। घटना के बाद लापरवाही के आरोप में अकबरपुर के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह को निलंबित किया जा चुका है। साथ ही हल्का प्रभारी और बीट आरक्षी के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई हुई। संबंधित पुलिसकर्मियों से पूछताछ के दौरान घटना की जानकारी नहीं होने की बात सामने आई थी। इसे ड्यूटी में लापरवाही माना गया। इधर, प्रकरण से जुड़े कथित ऑडियो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए।

बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अनशन पर बैठे सपा सांसद अवधेश प्रसाद, बोले- जारी रहेगी पीड़ितों की लड़ाई

संवाददाता-अयोध्या। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण की जद में आए 11 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासत तेज हो गई है। बुधवार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जनौरा नाका पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद वह मौके पर ही अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि लोगों के घर गिराना उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी हर कदम पर पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी और उनकी लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। इससे पहले सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडेय भी पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने प्रभावित लोगों की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत कराई। इसके बाद सांसद अवधेश प्रसाद के पहुंचने से मामला और राजनीतिक रूप से गरमा गया।

प्रेसवार्ता में अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार पर लोगों का दमन करने और घर गिराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के मकान कार्रवाई की जद में आए हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि सपा उनके साथ खड़ी है। भाजपा नेता मुरारी यादव के पार्टी छोड़ने के सवाल पर सांसद ने कहा कि वह उन्हें पार्टी छुड़वाने नहीं गए थे। वह केवल बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण पर भी अवधेश प्रसाद ने जांच को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की गई, जबकि छोटे लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। सांसद ने कहा कि चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी और आगे भी इस मामले को उठाया जाएगा।

जनौरा नाका के पास 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए जिला प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों के बीच विरोध है। इसी मुद्दे को लेकर अब विपक्षी दलों की सक्रियता बढ़ने से प्रकरण राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)

अदालत-श्रीमान तहसीलदार बस्ती जिला-बस्ती

वाद सं0-12542/2026

T 202617140312542

सूर्य प्रकाश सिंह

बनाम

मनीराम

1. सूर्य प्रकाश सिंह 2. चन्द्र प्रकाश सिंह पुत्रगण वंशमणि सिंह साकिनान मौजा गौरा रोहारी तप्पा जगरनाथपुर परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 08-10-2026

हरगाह मुद्दई मजकूरउसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 08 माह 10 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख 23 माह 09 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय-श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

वाद सं0- 794/1999

श्रीराम

बनाम

अहमद हुसेन आदि

2/2 लालेराम उम्र 50 साल पुत्र बदल 2/5 लालचन्द्र वालिग 2/6 श्याम सुन्दर वालिग 2/7 सतीश चन्द्र वालिग पुत्रगण स्व0 राजाराम 5/2 रामसुमेर उम्र 60 साल 5/3 राधेश्याम उम्र 55 साल 5/4 राम शंकर उम्र 45 साल पुत्रगण स्व0 सीताराम 6/1 दिलीप कुमार उम्र 50 साल 6/2 अशोक कुमार उम्र 45 साल पुत्रगण स्व0 हरीराम साकिनान मौजा पिपरा हसनपुर तप्पा उजियार परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर

तारीख पेशी 06-10-2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 06 माह 10 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबावदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

-द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय-श्रीमान तृतीय अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती

वाद सं0-491/2021

ज्ञानमती

बनाम

शिव कुमार आदि

1. शिव कुमार पुत्र स्व0 गनेशी 2. सरिन्द्रा देवी पत्नी स्व0 गनेशी 3. रामकरन पुत्र नेब्बूलाल 4. लीला देवी पत्नी नेब्बूलाल निवासीगण मौजा छितिरगांवा तप्पा भानपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती

तारीख पेशी 02-11-2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 02 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

-द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय-श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती

वाद सं0-1108/2025

यादराम वर्मा

बनाम

जैसराम वर्मा आदि

1. जैसराम वर्मा पुत्र मेहीलाल 2. सुभावती पत्नी स्व0 बाबूराम 3. सुनील कुमार पुत्र स्व0 बाबूराम निवासीगण ग्राम रौतापुर पो0 ओझागंज तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 16-11-2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 16 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

-द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1-4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक-दिनेश सिंह

संयुक्त सम्पादक-प्रदीप चन्द्र पाण्डेय

अयोध्या-फैजाबाद कार्यालय- चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या-फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय- आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय- इलाहीबाग गोरखपुर।

मो0 9336715406, 8400925463

ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com

dainikbhartiyabasti@gmail.com